न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के समक्ष

आयुक्त सचिव, मुद्रण और स्टेशनरी, हरियाणा और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , केंद्र शासित प्रदेश ,चंडीगढ़ और अन्य-प्रतिवादी

2008 की सिवल रिट याचिका नंबर 20865

13 फरवरी, 2009

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 226 -औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 33-भाग (2)-श्रम न्यायालय शनिवार और रविवार को ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए तकनीकी कर्मचारियों को लाभ दे रहा है-कर्मचारियों की छुट्टी के संबंध में शर्तों को नियंत्रित करने वाला कोई अलग नियम नहीं है , औद्योगिक कर्मचारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता-- उच्च न्यायालय ने पहले की याचिका में याचिकाकर्ताओं को याचिका दाखिल करने से तुरंत पहले 3 साल तक सीमित और उसके बाद लगातार अपडेट होने तक राहत का हकदार माना था- गैर-याचिकाकर्ता-आवेदक भी धारा 33-भाग (2) के तहत उनके द्वारा मांगे गए समान राहत के हकदार हैं ~जो की श्रम न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करने से तीन साल तुरंत पहले तक सीमित है --याचिका खारिज कर दी गई।

यह निर्धारित किया गया कि चूंकि मामले में शामिल प्रश्न "छुट्टी" से संबंधित है और मंत्रालयिक कर्मचारी और औद्योगिक कर्मचारी छुट्टी के संबंध में हरियाणा सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं और इस पहलू को नियंत्रित करने वाले कोई अलग नियम नहीं हैं, तो इस निष्कर्ष के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि दो श्रेणियों के साथ एक ही नियम के तहत अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है जब तक कि नियम इस तरह के अलग-अलग उपचार का प्रावधान नहीं करते हैं लेकिन यह भी उनके तहत परिकल्पित स्थितियों पर निर्भर करेगा। चूँकि छुट्टी के संबंध में शर्तों को नियंत्रित करने के लिए कोई अलग नियम नहीं हैं, इसलिए औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित कामगार और मंत्रालयी कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 21)

आगे निर्धारित किया गया है कि, जिन याचिककर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष 1988 की सिवल रिट याचिका नंबर 9948 दायर की है, उन्हें रिट याचिका दायर करने से तुरंत पहले तीन

साल तक सीमित राहत का हकदार माना गया है और उसके बाद लगातार अद्यतन किया जा रहा है। उसी सिद्धांत को गैर-याचिकाकर्ताओं-आवेदकों पर उनके दावे को तदनुसार सीमित करते समय लागू करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, उन्हें अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत उनके द्वारा दावा की गई राहत का हकदार माना जाता है, जो श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने से ठीक 3 साल पहले तक सीमित है।

(पैरा 24)

डी.एस. नलवा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

आर. के. मलिक, वरिष्ठ वकील, सज्जन सिंह के साथ,2007 की सिवल रिट याचिका नंबर16527 में याचिकाकर्ताओं की और से वकील।

अमित चोपड़ा, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

से सी. पटियाल, प्रतिवादी के वकील ।

न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह,

(1) इस आदेश के द्वारा, मैं सिविल रिट याचिका संख्या 2007 का 16527, 2008 का 20865, 2008 का 20866, 2008 का 20868, 2008 का 20875, 2008 का 20908, 2009 का 244, 2009 का 245, 2009 का 246, 200 का 283 9. 2009 का 286, 287 का 2009, 2009 का 295, 2009 का 296, 2009 का 297, 2009 का 298, 2009 का 299, 2009 का 303, 2009 का 315, 2009 का 316, 2009 का 317, 2009 का 370, 371 2009 का, 2009 का 372, 2009 का 373, 2009 का 374। 2009 का 375, 2009 का 376, 2009 का 380, 2009 का 381, 2009 का 382, 2009 का 383, 2009 का 384, 2009 का 385 ,2009 के 386, 2009 के 396, 2009 के 397, 2009 के 398, 2009 के 399, 2009 के 404, 2009 के 405, 2009 के 411, 2009 के 427, 2009 के 428, 2009 के 429 , 430 का 2009, 2009 का 431, 2009 का 432। 2009 का 433, 2009 का 435, 2009 का 436, 2009 का 437, 2009 का 438, 2009 का 439, 2009 का 440, 2009 का 441 और 442 2009 को निपताने का प्रस्ताव करता हूँ , क्योकि इसमें तथ्यों और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। सुविधा के लिए, तथ्य 2008 की सिवल रिट याचिका नंबर 20865 से लिए गए हैं।

(2) रिट याचिकाओं के वर्तमान ढेर में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में जाना जाता है) की धारा 33-भाग (2) के तहत श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी-कर्मचारियों को 1988 की सिवल रिट याचिका नंबर 9983 जगदीश चंदर और 450 अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, जो की 24 अगस्त, 2004 को निर्णीत किया गया था, में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मौद्रिक लाभ का हकदार ठहराया गया है।

(3) संक्षेप में वे तथ्य जिनके कारण हरियाणा राज्य द्वारा वर्तमान रिट याचिकाएं दाखिल की गईं यह है की जगदीश चंदर और 450 अन्य, जो नियंत्रक, मुद्रण और स्टेशनरी, हरियाणा के कार्यालय में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित थे, ने 1988 की सिवल रिट यश्चिक संख्या 9983 दाखिल की जिसमे दावा किया गया है कि उत्तरदाताओं को परमादेश का लेख के तहत निर्देश दिए जाएं कि वे उन्हें शनिवार या हरियाणा राज्य द्वारा सार्वजनिक छुट्टियों के रूप में अधिसूचित अन्य छुट्टियों पर अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए मजबूर न करें। उन्होंने उत्तरदाताओं को शनिवार को, जिसे हरियाणा राज्य द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, को कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके वेतन से कटौती करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की रिट की मांग की थी। उनके द्वारा यह कहा गया कि तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर कार्यरत अनुसचिवीय कर्मचारी सभी शनिवार को छुट्टियाँ होने के कारण मौज कर रहे हैं और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बहस के दौरान एक परिणामी प्रार्थना की गई कि शनिवार को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कर्तव्यों के लिए, उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले नगरपालिका कर्मचारी संघ (पंजीकृत), सरहिंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[1] के संदर्भ में अतिरिक्त वेतन का भुगतान करने का हकदार माना जाए।

(4) याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले, अजमेर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य , (2002 की सिवल रिट याचिका संख्या 15412 जिसका निर्णय 24 सितंबर, 2002 को हुआ) का यह तर्क देने के लिए हवाला दिया कि श्रमिकों को अपनी समस्या का निवारण करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और राज्य को स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में समान रूप से तैनात कर्मचारियों को लाभ देना चाहिए।

---

[1] 2000 (9) SCC 432

(5) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 24 अगस्त, 20Q4 को आदेश पारित किया, जिसका समापन भाग इस प्रकार है:-

> "वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता - कार्यालय नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा ~और सरकारी पाठ्यपुस्तक प्रेस, पंचकुला, हरियाणा सरकारी प्रेस, सेक्टर 18, चंडीगढ़ और बाल भवन प्रेस मधुबन (कमल) में तैनात हैं और कार्य कर रहे हैं । वे औद्योगिक कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करने के लिए अधिसूचना अनुलग्नक पृष्ठ 1 से पृष्ठ 5 पर भरोसा किया है कि सभी शनिवार और रविवार को छुट्टियों के लिए अधिसूचित किया गया है, लेकिन फिर भी वे शनिवार को काम कर रहे हैं। यह दावा किया गया है कि मंत्रालयिक कर्मचारी और तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारी अधिसूचना, दिनांक 29 अक्टूबर, 1987 और पत्र, दिनांक 6 सितंबर के मद्देनजर सभी शनिवार को छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। तृतीय श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर काम करने वाले याचिकाकर्ताओं को शनिवार को काम करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया है और उनके संघ के माध्यम से प्रतिनिधित्व के बावजूद, याचिकाकर्ताओं का दावा खारिज कर दिया गया है।

इस संबंध में अभ्यावेदन, दिनांक 23 नवंबर, 1987 (अनुलग्नक पी-7) और 21 सितंबर, 1988 (अनुलग्नक पी-8) का संदर्भ लिया जा सकता है। यह तथ्यात्मक स्थिति की इस पृष्ठभूमि में है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दावा किया है कि नगरपालिका कर्मचारी संघ के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपात लागू है।

मैंने सोच-समझकर विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ पर विचार किया है और पाया है कि तत्काल याचिका नगरपालिका कर्मचारी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार निपटाए जाने योग्य है और तदनुसार याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:-

(ए) याचिकाकर्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-भाग (2) के तहत उचित आवेदन दायर कर सकते हैं (संक्षिप्तता के लिए, अधिनियम) और वह उचित गणना पर प्रत्येक शनिवार को जिस दिन उन्होंने काम किया होगा के लिए अतिरिक्त वेतन के हकदार पाए जाएंगे

जबकि उनके सहयोगी मंत्रालयिक कर्मचारी हैं और तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर हैं और उन्होंने शनिवार को छुट्टियों के रूप में आनंद लिया है;

(बी) यदि प्रतिवादी द्वारा यह दिखाया गया है कि प्रासंगिक समय पर कोई निर्देश जारी किए गए थे जिसके तहत स्टाफ सदस्यों की कामकाजी स्थितियां समान रूप से सप्ताह में छह दिन निर्धारित की गई थीं, तो याचिकाकर्ताओं को मौद्रिक लाभ देने का प्रश्न नहीं टिकेगा।

(सी) सभी शर्तों को पूरा करने पर, याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत उचित राहत प्रदान की जा सकती है। लेकिन इसे तत्काल याचिका दायर करने से ठीक पहले तीन साल तक और उसके बाद लगातार अद्यतन तिथि तक सीमित रखना होगा। इसलिए, अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत दायर किए जाने वाले आवेदन में, याचिकाकर्ताओं को तदनुसार अपना दावा करना होगा।

(डी) यदि कोई कर्मचारी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गया है, तो जिन लाभों की गणना करने की आवश्यकता होगी, वे स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख तक उसे उपलब्ध होंगे।

(ई) यदि याचिकाकर्ता तीन महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत ऐसा कोई आवेदन दाखिल करते हैं, तो उसे यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जा सकता है, अधिमानतः इस याचिका को दायर करने के छह महीने के अंदर।

(6) 14 सितंबर, 2005 को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा,2004 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 424 हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जगदीश चंदर को खारिज कर दिया गया था। 2006 को हरियाणा राज्य द्वारा विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 672 को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश, दिनांक 30 जनवरी, 2006 को खारिज कर दिया गया था। ।

(7) इसी न्यायालय के 24 अगस्त, 2004 के निर्देशों के अनुसार कर्मचारी याचिककर्ता ने अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत उचित याचिका दायर की है। इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जो इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता नहीं थे (बाद में उन्हें गैर-याचिकाकर्ता-आवेदक के रूप में संदर्भित किया गया है) ने भी श्रम न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसमें उन्होंने उन्हे लाभों का दावा किया है जो की रिट याचिका में याचिककर्ताओं ने मांगे हैं । उक्त आवेदनों को श्रम न्यायालय द्वारा अनुमति दे दी गई है, वर्तमान

रिट याचिकाओं को हरियाणा राज्य द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के आदेशों को चुनौती देते हुए प्राथमिकता दी गई है।

(8) श्रीमान डी.एस. नलवा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि श्रमिकों के पक्ष में कोई तय अधिकार नहीं है। श्रम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। श्रमिकों के पास पहले से मौजूद कोई अधिकार नहीं है जो उन्हें अधिनियम की धारा 33-भाग(2) के तहत आवेदन दायर करने का लाभ देता हो। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 24 अगस्त, 2004 का निर्णय जिसे 1988 की सिवल रिट याचिका संख्या 9983 में पारित किया गया ,जो कि धारा 33-भाग 2) के तहत लाभ का दावा करने के लिए आधार है , उन्हें शनिवार के लाभ का हकदार नहीं मानता है क्योंकि इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय ने केवल उसी तरह के निर्देश जारी किए हैं जैसे की नगरपालिका कर्मचारी संघ (पंजीकृत) सरहिंद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। उनका तर्क है कि कर्मचारियों का दावा नगर कर्मचारी संघ (पंजीकृत), सरहिंद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (सुप्रा) के तहत नहीं आता है और इसलिए उन्हे धारा 33 के भाग (2) के तहत कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए, उनका तर्क है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग वैधानिक नियम हैं। प्रतिवादी-कर्मचारी जो औद्योगिक कर्मचारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित हैं, उन्हें शनिवार की छुट्टी दी गई है, वे एक अलग कैडर बनाते हैं, उनके पास अलग-अलग वरिष्ठता है, पदोन्नति के रास्ते अलग हैं और काम की प्रकृति भी अलग है। उनके बीच कुछ भी सामान्य नहीं है सिवाय इसके कि वे एक ही प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं। इसलिए, प्रतिवादी-कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था। उनका कहना है कि वे आवेदक जो गैर-याचिकाकर्ता थे और उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं की थी और 24 अगस्त, 2004 के फैसले के पक्षकार नहीं थे, उन्हें धारा 33-भाग (2) के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम के तहत और किसी भी मामले में, यदि लाभ कामगार-गैर-याचिकाकर्ताओं को दिया जाना था, तो इसेअधिनियम की धारा 33 भाग (2) में उनकी नियुक्ति के दाखिल होने से 3 साल पहले तक सीमित किया जाना चाहिए था।

(9) यहाँ दिए गए आदेश में श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को चुनोती देते हुए वकील ने यह तर्क दिया की यदि 1988 की सिवल रिट याचिका संख्या क्रमांक 9983 में 24 अगस्त, 2004 को दिए गए आदेश में निष्कर्षों की पालना की जाए तब भी श्रम न्यायालय यह निर्देश

देने के लिए बाध्य होगा की कर्मचारियों की मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गया आदेश नगरपालिका कर्मचारी संघ (पंजीकृत), सरहिंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, में ही शामिल होगी। ऐसा नहीं किये जाने पर, यहां दिया गया आदेश लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय है और इसे संबंधित निर्णय नहीं कहा जा सकता है जो गैर-याचिकाकर्ताओं को 1988 की सिवल रिट याचिका संख्या क्रमांक 9983 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिए गए आदेश का लाभ देने का अधिकार देगा।

(10) श्री आर.के. मालिक , विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि प्रतिवादी-कर्मचारी उन शनिवार के मौद्रिक लाभ के हकदार नहीं होंगे, जिस दिन उन्होंने काम किया है, क्योंकि मंत्रालयिक कर्मचारी जिन्हें शनिवार को काम करने के लिए बुलाया जाता है, वे केवल पूरक छुट्टी के ही हकदार हैं।

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादी-कर्मचारियों के वकील श्री अमित चोपड़ा का तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा 24 अगस्त, 2004 को 1988 की सिवल रिट याचिका संख्या क्रमांक 9983 को जारी किए गए निर्देशों का अवलोकन यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि दिशा '(ए)' विशिष्ट है जिसमें यह माना गया है कि कामगार प्रत्येक शनिवार को जिस दिन उन्होंने काम किया है, के लिए अतिरिक्त मजदूरी के हकदार हैं । उनका कहना है कि न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत आवेदन दायर कर सकते हैं और उचित गणना पर प्रत्येक शनिवार जिस दिन उन्होंने काम किया होगा, के लिए अतिरिक्त मजदूरी के हकदार पाए जा सकते हैं, जबकि उनके सहयोगी मंत्रालयिक कर्मचारी और तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर हैं, उन्होंने शनिवार को छुट्टियों के रूप में आनंद लिया है। इस आधार पर उनका कहना है कि इस न्यायालय ने श्रम न्यायालय को अतिरिक्त वेतन के उनके अधिकार की गणना करने का निर्देश दिया है। यह दिशा-निर्देश तब जारी किया जा सकता था जब न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली होती क्योंकि गणना का प्रश्न तभी उठेगा जब उन्हें शनिवार के उस लाभ का हकदार माना जाएगा जिस दिन उन्होंने काम किया है।

(12) उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया विवाद टिक नहीं सकता क्योंकि ये सभी तर्क जो अब श्रमिकों के दावे को अस्वीकार करने के लिए उठाए जाने की मांग की जा रही है, वे इस न्यायालय के समक्ष एल.पी.ए. क्रमांक 424 ,2004 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 2006 की संख्या 672 की कार्यवाही के दौरान उठाए गए थे और न्यायालय द्वारा इसे खारिज कर दिए जाने के बाद अब दोबारा प्रस्तुत करने के लिए दबाव नहीं

डाला जा सकता है कि कामगार इस न्यायालय के फैसले के अनुसार लाभ के हकदार नहीं हैं। उनका तर्क है कि पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होगा। यह याचिकाकर्ताओं के लिए अब उन प्रस्तुतियों को उठाने के लिए एक रोक के रूप में कार्य करेगा जिन पर एक बार फैसला सुनाया जा चुका है और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और इसलिए, अब उसे अधिनियम की धारा 33- भाग (2) के तहत कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मंत्रालयिक कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की कुछ शर्तों को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग नियम हो सकते हैं लेकिन फिर भी जहां तक वेतन निर्धारण, सजा और छुट्टी आदि को नियंत्रित करने वाले नियमों का सवाल है, दोनों श्रेणियों के कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं।

छुट्टी नियम जिसके तहत छुट्टी दी जा रही है और अधिसूचना

दिनांक 30 जुलाई, 1979 (अनुलग्नक पी-2) जिसके तहत सभी शनिवारों को मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा छुट्टियों के रूप में मनाया जा रहा है बराबर होने के कारण, औद्योगिक कर्मचारियों का शनिवार के लाभों का दावा करना उचित है और उन्हें इस भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि कामगार शनिवार के वेतन के लाभ के हकदार हैं, जिस दिन उन्होंने पहले ही काम किया है। हालाँकि, यदि हरियाणा राज्य भविष्य में चाहे, कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दे सकता है जैसा कि वरिष्ठ वकील ने अपनी दलीलें देते समय कहा है।

(13) गैर-याचिकाकर्ताओं-आवेदकों के संबंध में जो 1988 की सिवल रिट याचिका संख्या 9983 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पक्षकार नहीं थे, उनका तर्क है कि चूंकि उनकी स्थिति से इनकार नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें उन श्रमिकों के समान ही रखा गया है जो याचिका में याचिकाकर्ता थे और श्रमिकों का अधिकार इस न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है और इस आशय की एक घोषणा जारी की गई है जिसमें उन्हें उस शनिवार के लिए वेतन का हकदार बताया गया है, जिस दिन वे पहले ही काम कर चुके हैं, गैर-याचिकाकर्ताओं-आवेदकों को यह दलील देकर उसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उनका अधिकार पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है या उसे स्थापित नहीं किया गया है या कि कोई पहले से मौजूद अधिकार नहीं है।

(14) मैंने दोनों पक्षों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर अपना विचारपूर्वक विचार किया है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और मेरा मानना है कि वर्तमान रिट याचिकाएं खारिज किए जाने लायक हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 24 अगस्त, 2004 को 1988 की सिवल रिट याचिका संख्या क्रमांक 9983 के आदेश में दिए गए निर्देश,

दिशा 'ए ' में यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं की कि इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत एक उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी थी और उचित गणना के बाद यदि श्रम न्यायालय को पता चलता है कि वे प्रत्येक शनिवार के लिए अतिरिक्त वेतन के हकदार हैं, जिस दिन उन्होंने काम किया होगा, जबकि उनके सहकर्मी मंत्रालयिक कर्मचारियों और तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों ने शनिवार को छुट्टियों का आनंद लिया है, वे उक्त राहत के हकदार होंगे। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश '(सी)' से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत राहत याचिका दायर करने से तुरंत पहले 3 साल तक सीमित थी और उसके बाद लगातार अगली तारीख तक, यानी बकाया के संबंध में निर्देशों का लाभ इस न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालाँकि, निर्देश '(बी)' वास्तव में शनिवार के लिए अतिरिक्त मजदूरी के अनुदान के लिए श्रमिक के दावे के संबंध में एक शर्त रखता है। इसमें कहा गया है कि यदि हरियाणा राज्य ने श्रम न्यायालय के समक्ष यह साबित कर दिया है कि जिस प्रासंगिक समय पर श्रमिकों का दावा आधारित है, उस समय कोई निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत स्टाफ सदस्य की काम करने की स्थिति समान रूप से सप्ताह में छह दिन की निर्धारित की गई थी, तो मौद्रिक लाभ देने का सवाल नहीं बचेगा।

(15) राज्य के वकील ने बहुत निष्पक्षता से स्वीकार किया है कि राज्य द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं जिनमे समान रूप से यह निर्धारित किया गया है कि सभी स्टाफ सदस्यों को इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे तकनीकी या गैर-तकनीकी पदों पर कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित हैं, साथ ही औद्योगिक कर्मचारियों को भी सप्ताह में छह दिन काम करना होगा। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ताओं के वकील का यह तर्क कि इस न्यायालय द्वारा श्रमिकों को उस शनिवार को जिस दिन उन्होंने काम किया था जबकि मंत्रालयिक कर्मचारियों ने छुट्टियों का आनंद लिया था, के लिए अतिरिक्त वेतन का हकदार मानने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, यह स्वीकार्य नहीं है।

(16) याचिकाकर्ता-राज्य के वकील का यह तर्क की विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह नहीं माना है कि याचिकाकर्ता का दावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नगरपालिका कर्मचारी संघ (पंजीकृत) सरहिंद के फैसले में शामिल किया जाएगा, भी योग्यता से रहित है क्यूंकी इस न्यायालय की खंडपीठ ने 2004 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 424 को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से निम्नानुसार माना है:-

"xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले नगरपालिका कर्मचारी संघ (पंजीकृत) सरहिंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2000) 9 एससीसी 432 द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में कवर किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामले से निपटते समय कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे , जिन्हें वर्तमान मामले पर भी लागू किया गया है। हम पाते हैं कि ऊपर उल्लिखित निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता, स्पष्ट रूप से उपरोक्त उद्धृत निर्णय के दायरे में आते हैं। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं-रिट याचिकाकर्ताओं को शनिवार को छुट्टियों से वंचित किया जा रहा है, जबकि एक ही कार्यालय में लेकिन विभिन्न शाखाओं में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को उस दिन छुट्टियां दी जा रही हैं। इसलिए, हम पाते हैं कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। खारिज कर दिया गया।"

(17) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दिए गए तर्क कि, अलग-अलग कैडर से संबंधित श्रमिकों के संबंध में अलग-अलग वरिष्ठता और अलग-अलग वैधानिक नियम हैं और इस प्रकार, वह अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के लाभ के हकदार नहीं हैं , को भी इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ये सभी आधार जो याचिकाकर्ताओं द्वारा यहां उठाए गए हैं, उन्हें पहले ही याचिकाकर्ता-राज्य द्वारा 2004 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 424 में प्राथमिकता देते हुए सेवा में डाल दिया गया है।

उसका आधार-1 इस प्रकार है:-

कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त रिट याचिका में निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नगर कर्मचारी संघ (रजि.) सरहिंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2000)9 एससीसी 432 के आधार पर सुनाया है। उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त निर्णय पूरी तरह से अलग तथ्यों और परिस्थितियों के तहत दिया गया था, जबकि उक्त मामले में विवादित मामला पूरी तरह से अलग कानून द्वारा शासित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया मामला नगर निगम के उन कर्मचारियों से संबंधित है जिनके पास समान वरिष्ठता सूची और समान वेतनमान था और उन्हें या तो ऑक्ट्रॉय चेक पोस्ट पर या कार्यालय में, सेवाओं की अनिवार्यता को देखते हुए, काम करना आवश्यक था।. सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी अधिसूचना में निर्दिष्ट गैर-कार्यशील शनिवारों का लाभ चुंगी कर्मचारियों को नहीं दिया

गया, जबकि ऐसा लाभ उनके समकक्षों को दिया गया था जो कार्यालयों में तैनात थे । इन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय सुनाया गया। लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तय की गई रिट याचिका में शामिल तथ्य और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। यहां जिन कर्मचारियों के साथ समानता का आदेश माननीय एकल न्यायधीश द्वारा दिया गया है वह विभिन्न नियमों द्वारा शासित होते हैं। विभाग के विभिन्न प्रेसों में काम करने वाले कर्मचारी तृतीय श्रेणी के औद्योगिक कर्मचारी हैं और काम के घंटों के संबंध में उनकी सेवा फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जबकि उक्त अधिनियम के प्रावधान वर्ग-III मंत्रालयिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं जिनके साथ माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा समानता का आदेश दिया गया है।

(18) इसके उपरांत यही मुद्दे याचिककर्ताओं द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2006 की अपील के लिए विशेष अनुमति (सिविल) संख्या 672, में उठाए गए थे। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

“2. कानून के प्रश्न :-

कि कानून के निम्नलिखित प्रश्न इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार के लिए उठते हैं:-

(i) क्या उच्च न्यायालय ने विभाग के विभिन्न प्रेस में कार्यरत श्रेणी-III औद्योगिक कर्मचारियों और श्रेणी -III मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि क्लास-III औद्योगिक स्टाफ ~फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, जबकि क्लास-III एम मिनिस्ट्रियल स्टाफ फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 द्वारा शासित नहीं है, बराबर व्यवहार करके कोई त्रुटि की है ?

(ii) क्या उच्च न्यायालय ने अपने आदेश को इस माननीय न्यायालय के आदेश सरहिंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य” (2000) 9 एससीसी 432 पर आधारित करके त्रुटि की है, जिसमें इस माननीय न्यायालय ने पाया कि नगर पालिकाएँ सेवा से संबंधित श्रेणी -III और श्रेणी -IV के कर्मचारी जो ऑक्ट्रोई चेक पोस्ट पर काम करते हैं, को शनिवार को छुट्टियों का आनंद लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जबकि नगरपालिका समिति के कार्यालय में काम करने वाले उनके समकक्ष शनिवार को छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं?

(iii) क्या उच्च न्यायालय ने गलती की है तृतीय श्रेणी के औद्योगिक कर्मचारियों और तृतीय श्रेणी के मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने में, विशेष रूप से जब वे अलग-अलग कार्य नियमों द्वारा शासित होते थे?

(19) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए आधार, जो इन आधारों से उत्पन्न हुए है को , याचिककर्ताओं द्वारा दायर की गई पत्र पेटेंट अपील और अपील के लिए विशेष अनुमति के खारिज होने पर वर्तमान कार्यवाही में निर्धारित नहीं किया जा सकता । वर्तमान ~रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन आधारों को सेवा में लिया गया है, वे आदेश दिनांक 24 अगस्त, 2004 की 1988 की सीडब्ल्यूपी संख्या क्रमांक 9983 में इस न्यायलय की खंडपीठ और बाद में उच्चतम न्यायलय में लिए जा चुके हैं।

(20) किसी भी मामले में, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ इस साधारण कारण से सफल नहीं हो सकतीं कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वेतन-निर्धारण, दंड, छुट्टी आदि के प्रयोजनों के लिए, दोनों श्रेणियों के कर्मचारी समान नियमों द्वारा शासित होते हैं जो की हरियाणा सिविल सेवा नियम हैं। प्रबंधन गवाह संख्या 1 श्री दिलबाग सिंह बेरवाल, सहायक नियंत्रक, नियंत्रक कार्यालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ ने अपनी जिरह में इस प्रकार कहा है।

> “XXXXXX प्रतिनिधि द्वारा कर्मकार।
>
> संपूर्ण प्रेस का विभागाध्यक्ष अर्थात मंत्रालयिक स्टाफ और तकनीकी स्टाफ एक ही होता है। उपरोक्त दोनों श्रेणियों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दण्डित करने एवं नियुक्त करने का अधिकार भी नियमानुसार एक समान है। वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे हरियाणा राज्य पर लागू कर दी गई हैं। प्रेस के कर्मचारी भी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं। वेतन निर्धारण, सजा, छुट्टी आदि के उद्देश्य के लिए दोनों श्रेणियों के कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं।

(21) चूंकि छुट्टी के प्रयोजन के लिए मंत्रालयिक कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं और इस पहलू को नियंत्रित करने के लिए कोई अलग नियम नहीं हैं, इसलिए इसके अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है की दो श्रेणियों के साथ एक ही नियम के तहत अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि नियम इस तरह के अलग-अलग उपचार के लिए प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन यह भी इसके तहत परिकल्पित स्थितियों पर निर्भर करेगा। चूंकि शर्तों के संबंध में शर्तों को नियंत्रित

करने के लिए कोई अलग नियम नहीं हैं, औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित श्रमिकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(22) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क जिस पर अब विचार करने की आवश्यकता है वह गैर-याचिकाकर्ता-आवेदकों के संबंध में है जिन्होंने सीधे श्रम न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 33-भाग(2) के तहत आवेदन दायर किया था। यहां फिर से श्री दिलबाग सिंह बक्रवाल एमडब्ल्यू-1 ने श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि ये गैर-याचिकाकर्ता-आवेदक उसी प्रेस में काम कर रहे हैं जहां रिट याचिका दायर करने वाले व्यक्ति हैं काम कर रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. 1988 की संख्या 9948 में मुख्य रूप से इस सवाल का फैसला किया था कि क्या औद्योगिक कर्मचारी और श्रमिक मंत्रालयिक कर्मचारी समान लाभ के हकदार थे। इस न्यायालय ने अधिकारों को एक वर्ग के रूप में तय किया है और उसके बाद व्यक्तिगत पात्रता की गणना के लिए अधिनियम की धारा 33-भाग(2) के तहत व्यक्तिगत आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश "(ए)" से स्पष्ट है, जिसमें यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 33-भाग(2) के तहत किए गए एक आवेदन पर गणना श्रम न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमे श्रमिकों को प्रत्येक शनिवार के लिए अतिरिक्त वेतन का हकदार माना जेरगा , जिस दिन उन्होंने काम किया होगा, जबकि तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों ने शनिवार को छुट्टियों के रूप में आनंद लिया होगा।

(23) इस स्पष्ट निर्देश के आलोक में जहां इस न्यायालय ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की तुलना में औद्योगिक कर्मचारियों के शनिवार को छुट्टियों के संबंध में अधिकार पर फैसला सुनाया था, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब यह स्वीकार किया जा रहा है कि गैर-याचिकाकर्ता/आवेदक औद्योगिक श्रेणी से संबंधित हैं, तो इसके अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि वे उसी लाभ के हकदार हैं जो सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 9948 ऑफ़ 1988 में याचिकाकर्ताओं को दिया गया है। इसलिए, उनके पास पहले से मौजूद अधिकार था जो उन्हें अधिनियम की धारा 33-भाग(2) के तहत एक आवेदन बनाए रखने का अधिकार देता है ।

(24) याचिकाकर्ताओं के वकील का यह तर्क कि ऐसे गैर-आवेदक श्रम न्यायालय के समक्ष केवल अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत अपने आवेदन की समाप्ति से तुरंत पहले 3 वर्षों के बकाया का लाभ पाने के हकदार होंगे, महत्व रखता है। जिन याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के

समक्ष 1988 की रिट याचिका संख्या 9948 दायर की थी, उन्हें रिट याचिका दायर करने से ठीक तीन साल पहले और उसके बाद आज तक की राहत का हकदार माना गया है। गैर-याचिकाकर्ताओं-आवेदकों के दावे को क्रमबद्ध रूप से सीमित करते समय उसी सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, वे अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत उनके द्वारा दावा किए गए राहत के हकदार माने जाते हैं, जो श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने से ठीक पहले 3 साल तक सीमित है।

(25) तदनुसार, रिट याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा याचिकाकर्ताओं-आवेदकों के लिए अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत पारित किए गए आक्षेपित आदेशों को बरकरार रखा गया है और गैर-याचिकाकर्ताओं-आवेदकों के लिए इसे इस हद तक संशोधित माना जाएगा कि गैर-पंजीकरणकर्ता-आवेदक अधिनियम की धारा 33-भाग (2) के तहत राहत के हकदार होंगे, जो उनके द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने से ठीक पहले तीन साल तक सीमित होंगे उसके बाद लगातार अद्यतन किया जाएगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा